कार्यालय उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह।

(जिला नजारत शाखा)

निविदा की शर्ते

परिसदन भवन (नया एवं पुराना) गिरिडीह के लिए तकनिकी एवं वित्तीय निविदा पत्र मुहर बंद लिफाफे में संलग्न करना होगा। तकनिकी निविदा में पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही द्वितीय निविदा खोला जायेगा।

तकनिकी निविदा के शर्तेः-

1. गिरिडीह परिसदन भवन (नया एवं पुराना) गिरिडीह के लिए प्रत्येक निविदादाता को अपने निविदा के साथ उपायुक्त, गिरिडीह के पदनाम से 50,000.00 (पचास हजार)रूपये का बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में सुरक्षित जमा करना होगा।
2. वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम- 2017 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में निबंधन प्रमाण पत्र देना होगा।
3. निविदादाता के नाम काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र नोटरी पब्लिक का देना होगा।
4. अद्यतन आयकर रिटर्न विगत 03 वर्षो का देना होगा।
5. उपायुक्त/आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20,00000.00 (बीस लाख) रूपये का कार्य का लेन-देन किये जाने का प्रमाण पत्र तकनिकी निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को किसी संस्थान/प्रतिष्ठान में कैंटरिंग, हाउस किपिंग एवं साफ सफाई का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण प्रत्र देना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा के शर्तेः-

2 गिरिडीह परिसदन भवन (नया एवं पुराना) गिरिडीह के लिए निविदादाताओं को उपरोक्त सेवायें देने के ऐवज में मासिक/वार्षिक राशि (सभी कर सहित) QUOTE करना होगा।

उक्त निविदा हेतु आवश्यक शर्ते निम्नांकित है :-

1 परिसदन भवन (नया एवं पुराना) गिरिडीह के आंतरिक साफ सफाई जिसके अन्तर्गत कमरों प्रसाधन गृहों सहित पुरे परिसदन की साफ-सफाई रखना आवश्यक होगा।

2 सफल निविदादाता को अपने कर्मियों को यूनिफॉर्म में रखना सुनिश्चित करेंगे।

3 परिसदन भवन (नया एवं पुराना) गिरिडीह में अवस्थित लॉन बगीचा में सिजनली फूल-पौधे लगाना होगा। साथ ही आवश्यकतानुसार खाद बीज डालना एवं घास की कटाई करना होगा तथा गार्डेन में अवस्थित झरने की घेरे को साफ-सफाई करना एवं सूखे गिरे हुए डाली को हटाकर परिसर को हरहाल में साफ रखना होगा।

4 परिसदन भवन (नया एवं पुराना) गिरिडीह के लिए न्यूनतम स्वीपर की संख्या 03 (तीन) माली 01(एक), खानसामा 02 (दो), वेटर 02 (दो), हाउसकिपिंग 02 (दो) रखना अनिवार्य होगा। साथ ही इन कर्मियों को भुगतान की प्रक्रिया झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी।

5 हाउसकिपिंग के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य शामिल होगी।

(क) दोनो अतिथि गृह में लगे इलेक्ट्रोनिक विधुतीय उपकरणों एवं जलापूर्ति का रख रखाव एवं वायरिंग, स्वीचबोर्ड, CFL लाईट, इन्भटर, बेसिन, पानी पाईप की आवश्यकतानुसार मरम्मति/नया लगाने का कार्य ।

(ख)परिसदन भवन (पुराना एवं नया) गिरिडीह के कमरों सहित हॉल की साफ सफाई तथा संपूर्ण परिसदन भवन में दरवाजा खिड़की एवं अन्य फर्निचर, सोफा, उपस्कर की मरम्मति एवं पोलिस का कार्य।

(ग) अतिथि गृह में ठहरे गये अतिथियों के लिए प्रसाधन की वस्तुऐ जैसे साबुन, तेल, सेम्पू, तौलिया आदि की व्यवस्था करना होगा।

(ध) बेडसीट, मच्छरदानी, आलआॅउट, पर्दा, तकिया, तौलिया इत्यादि की आपूर्ति आवश्यकतानुसार सफाई एवं धुलाई।

(ड) परिसदन नया एवं पुराना में लगे ए0सी0, पंखा, टी0भी0, गीजर, लाईट की मरम्मति एवं रख रखाव।

6 निर्वाद्य विद्युत की व्यवस्था (जेनरेटर ईंधन का विपत्र/जनरेटर चालक का भुगतान/जनरेटर की मरम्मति/रख रखाव सहित सभी कार्य) एवं विद्युत विपत्र का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

7 स्थानीय निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

8 परिसदन भवन में चाय/नास्ता/भोजन एवं विसलरी पानी आदि से होने वाली आय संचालन कर्ता को दी जा सकेगी।

9 मेनू सें संबंधित प्रपत्र एवं अन्य कागजात प्राप्त करने हेतु जिला नजारत शाखा में किसी भी कार्य दिवस के दिन संपर्क किया जा सकता है।

10 प्रथम लिफाफा में तकनिकी निविदा एवं द्वितीय लिफाफा में निविदादाताओं को उपरोक्त सेवायें देने के ऐवज में मासिक/वार्षिक राशि (सभी कर सहित)QUOTE करना होगा।

11 गुणवत्ता और स्वीकृत दर में आपूर्ति के दौरान किसी प्रकार की हेरा-फेरी या त्रुटि पाये जाने पर फर्म तथा प्रोपराईटर दोनों को काली सूची में डालते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

12 अतिथि गृह कमरों का आरक्षण पूर्ववत जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा और किराये से प्राप्त राशि जिला नजारत शाखा, गिरिडीह में जमा की जायेगी।

13 सभी तरह के कर का भुगतान निविदादाता के द्वारा किया जायेगा।

14 सफाई से संबंधित सभी सामग्री यथा झाड़ू, हीट, पोछा, वाईपर, ओडोनील, हारपीक, ब्लीचिंग पाउडर, बाल्टी, जग, डस्टबीन, ग्लास, क्लॉथ, झोल झारन, रुमस्प्रे इत्यादी सफल निविदादाता के द्वारा आपूर्ति किया जायेगा।

15 निविदा स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने या सम्पूर्ण निविदा को रद्द या एक से अधिक आपूर्तिकर्ता को आदेश देने का अधिकार अघोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

16 यह निविदा एक साल के लिए है लेकिन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अवधि बढाई जा सकती है।

17 उपायुक्त, गिरिडीह या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई पदाधिकारी या जिला नजारत उप समाहर्त्ता द्वारा औचक निरीक्षण के क्रम में कर्मियों की संख्या कम पाये जाने पर सफल निविदादाता पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

12/4/18

उपायुक्त,
गिरिडीह।